रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032023-244203
CG-DL-E-09032023-244203

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 9, 2023/फाल्गुन 18, 1944
No. 133] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 9, 2023/PHALGUNA 18, 1944

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2023

सा.का.नि. 172(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का संख्यांक 46) की धारा 36 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कीटनाशी नियम, 1971 में आगे संशोधन करने के लिए, जैसा कि उक्त धारा द्वारा अपेक्षित है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए निम्नलिखित मसौदा नियमों को एतद्वारा प्रकाशित करती है जिनकी उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, और एतद्ववारा सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा नियमों पर, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना की यथाप्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के उपरांत विचार किया जाएगा;

ऐसी आपत्तियों अथवा सुझावों पर, जो उक्त मसौदा नियमों के संदर्भ में तीस दिन की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी व्यक्ति से प्राप्त हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ;

उक्त मसौदा नियमों के संदर्भ में, आपत्तियां तथा सुझाव संयुक्त सचित (पादप संरक्षण), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को अथवा jspp-dac@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाएँ ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों को कीटनाशी (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2023 कहा जाएगा ।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 10 में, उप-नियम (3क) के खंड (iii) में:

(क) "भारतीय अनाज भंडारण संस्थान, हापुड़ और राष्ट्रीय वनस्पति संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद" वाक्यांश को "भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान, हापुड़ और राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद" वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) उप-खंड (iii) में, निम्नलिखित परंतुक को समाविष्ट किया जाएगा:

परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति जो यथानिर्धारित कार्यों के लिए केवल ग्लाइफोसेट और इसके संजातो का उपयोग करके कीट नियंत्रण कार्यों हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, को निम्नलिखित संस्थानों में से किसी से भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा - कोई भी राज्य कृषि विश्वविद्यालय अथवा कृषि विज्ञान केंद्र या राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद अथवा राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान या केंद्रीय अथवा राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान या कोई अन्य सरकारी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान अथवा केंद्रीय या क्षेत्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र (सीआईपीएमसी), एनआईपीएचएम पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में रहेगा।

[फा. सं. 13035/19/2019-पीपी-I]

आशीष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (पीपी)

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1650(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित किए गए हैं और सा.का.नि. संख्यांक 140(अ), तारीख 28 फरवरी, 2023 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2023

G.S.R. 172(E).—The following draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rule shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rule before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions in respect to the said draft rule may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001 or through email at jspp-dac@gov.in.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Insecticides (Fourth amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2 In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 10, in clause (iii) of sub-rule (3A):

(a) the words "Indian Grain Storage Institute, Hapur and National Plant Protection Training Institute, Hyderabad" shall be substituted by the words " Indian Grain Storage Management & Research Institute, Hapur and National Institute of Plant Health Management, Hyderabad, respectively ".

(b) in sub-clause (iii) , following proviso shall be inserted:

Provided that any person who apply for grant of license for the Pest Control Operations using only Glyphosate and its derivatives for such operations as prescribed shall undergo a training programme, meant exclusively for Glyphosate usage, from any of the following Institutions - any State Agricultural University or Krishi Vigyan Kendra

or National Institute of Plant Health Management, Hyderabad or State Agricultural Management and Extension Training Institute or Central or State Agricultural Research Institute or any other Government recognized university or institute or Central or Regional Integrated Pest Management Center (CIPMC) with NIPHM as the implementing nodal agency for course curriculum and monitoring of the training programme.

[F. No. 13035/19/2019-PP-I]

ASHISH KUMAR SRIVASTAVA, Jt. Secy. (PP)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1650(E), dated the 19th October, 1971 and was amended vide G.S.R 140(E) dated 28.02.2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA